न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुपौल

विविध वाद संख्या-06/2021

[redacted] साकिन- बेरो, टोला- झखराही, थाना व जिला- सुपौल।

................आवेदिका

बनाम

[redacted] साकिन- नन्दलाली, थाना- बिहरा, जिला- सहरसा।

...................विपक्षी

आदेश

07.04.2026

1. आवेदिका की हाजरी है। पुकार पर आवेदिका अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुई। वाद दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत किया गया है।

2. अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा यह वाद विपक्षी शिवा राम के विरुद्ध भरण-पोषण वाद संख्या- 113/2017 में दिनांक 18.03.2021 को पारित आदेश के आलोक में बकाया भरण-पोषण की बकाया राशि मो० 86,000/- (छियासी हजार रुपये) की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रस्तुत वाद में इस न्यायालय द्वारा कई आदेश पारित किए जाने के उपरांत भी जब विपक्षी द्वारा उक्त मामले में भरण-पोषण की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तब अंततः दिनांक 28.08.2025 के आदेश द्वारा जिलाधिकारी, सहरसा के माध्यम से विपक्षी के विरुद्ध भरण-पोषण राशि के बकाया राशि मो० 86,000/- (छियासी हजार रुपये) की वसूली करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 (3) के तहत वारंट जारी किया गया है।

4. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, बकाया भरण-पोषण राशि की वसूली होने तक इस मामले में आगे की

कार्यवाही आवश्यक नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद को Adjourned Sine-die किया जाता है।

5. कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि विपक्षी से बकाया भरण-पोषण राशि की वसूली संबंधी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस मामले को सूचीबद्ध किया जाए।

(राहुल उपाध्याय)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, सुपौल
07.04.2026